UPRB010023382026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।
पीठासीन अधिकारी–(अमित पाल सिंह), (एच जे एस)–UP05691
फौजदारी निगरानी संख्या –82/2026

शकील अहमद खान पुत्र स्व० कमाल अहमद खान निवासी ई–29 प्रगतिपुरम कालोनी, थाना मिलएरिया, जनपद रायबरेली।

.....निगरानरीकर्ता/प्रार्थी

प्रति

उ0प्र0 सरकार द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

.....प्रतिपक्षी/विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता शकील अहमद खान द्वारा विद्वान अवर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चतुर्थ, रायबेरली के द्वारा, दाण्डिक वाद संख्या 34371/2022 शासन बनाम शकील अहमद खान आदि, अन्तर्गत धारा 419,420,467,468,471 भा०दं०सं०, थाना लालगंज, जनपद रायबरेली, में पारित आदेश दिनांकित 24.03.2026 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने, प्रार्थी/निगरानीकर्ता का प्रार्थनापत्र दिनांकित 17.09.2022 बाबत कराये जाने अग्रिम विवेचना, निरस्त किया है।

2. निगरानी से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष फौजदारी वाद संख्या 34371/2022 राज्य प्रति शकील खाँ आदि अपराध संख्या 172/2022 धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471 भारतीय दण्ड संहिता, थाना लालगंज जिला रायबरेली, अभियुक्त शकील अहमद खाँ उर्फ सुल्तान, सीमा देवी, आशाराम व गंगा प्रसाद के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने के स्तर पर विचाराधीन है। उक्त फौजदारी वाद में अभियुक्त शकील की ओर से दिनाँक 17.09.2022 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 (2) सपठित धारा 173(5), 173(8) दण्ड प्रक्रिया संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विवेचक द्वारा सम्यक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है। दिनाँक 22.08.2022 को अभियुक्त द्वारा जेल में रहते हुए कुछ लिखित दस्तावेज/साक्ष्य जरिये रजिस्ट्री दिनाँक 23.08.2022 व 25.08.2022 को प्रेषित किये थे, जिसकी छायाप्रतियाँ व रजिस्ट्री रसीद प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, परन्तु विवेचक ने उन दस्तावेजों पर बिना कोई विवेचना किये पुलिस रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। अतः न्यायहित में आवश्यक है कि विवेचक/क्षेत्राधिकारी लालगंज को नैसर्गिक न्याय के अनुपालन में

अभियुक्त शकील के द्वारा प्रेषित दस्तावेजी साक्ष्यों के संदर्भ में अग्रिम विवेचना हेतु आदेशित किया जाना न्यायसंगत है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आपराधिक बिल संख्या 5298, 5299, 5300/2015 में दिनाँक 17.02.2017 को चंद्रदेव व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार में राज्य की पुलिस को जरिये रजिस्ट्री व डाक द्वारा प्रेषित प्रत्येक साक्ष्यों को विवेचना में सम्मलित किया जाना आदेशित किया गया है। अतः क्षेत्राधिकारी लालगंज से इस सम्बन्ध में आख्या मंगाया जाना कि उक्त साक्ष्यों को प्राप्त करने के पश्चात उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गयी, न्यायसंगत है। अतः अभियुक्त द्वारा प्रेषित दस्तावेजी साक्ष्यों के बाबत अग्रिम विवेचना कराये जाने हेतु निवेदन किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनाँकित 17.09.2022 निरस्त कर दिया गया, जिससे क्षुब्ध होकर अभियुक्त/निगरानीकर्ता शकील अहमद खां द्वारा यह निगरानी योजित की गयी है।

3. निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी में यह आधार लिये गये हैं कि प्रश्नगत वाद में विचारण न्यायालय द्वारा विधिक मस्तिष्क का प्रयोग न करते हुए सतही आदेश महत्वपूर्ण विधिक प्राविधानों का परहेज (Ignored) करते हुए किये जा रहे है। निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 17.09.2022 को न्यायालय श्रीमान में एक आवेदन अन्तर्गत धारा–173 (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 173(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 172 (1–क) दण्ड प्रक्रिया संहिता में प्रस्तुत कर मांग की गयी कि विवेचक द्वारा निगरानीकर्ता के बयान दौरान विवेचना दर्ज किये गये थे, उन्हें केस डायरी में अंकित नही किया गया है तथा विवेचना के मानीटरिंग आफीसर सी०ओ० लालगंज को लिखित रुप से साक्ष्य प्राप्त कराये गये थे, जिसकी रजिस्ट्री रसीद एवं डिलेवरी स्टेटस संलग्न कर एवं सी०ओ० को प्रेषित प्रार्थना पत्र की प्रति जो दाखिल पत्रावली है उस पर विवेचक एवं मानीटरिंग अधिकारी ने क्या विधिक प्रक्रिया अपनाई गयी है, उस पर नियमानुसार अग्रिम विवेचना का प्राविधान अपनाया गया है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में आख्या मंगाकर अग्रिम विवेचना कराया जाना आवश्यक है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में रिवीजनिष्ट के आवेदन पत्र को सतही तरीके से (Surface Manner) से दिनांक 24.03.2026 को खारिज कर दिया गया है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 24.03.2026 अपास्त किए जाने एवं निगरानी स्वीकार करते हुए अभियोजन प्रपत्रों के असल दस्तावेजों, जिसे आरोप पत्र का आधार बनाया गया है उसे, अधीनस्थ न्यायालय को चार्ज फ्रेमिंग के समय मंगाने का आदेश देने की कृपा की जाये।

4. निगरानीकर्ता/अभियुक्त एवं उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा अवर न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. निगरानीकर्ता/अभियुक्त के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा धारा 173 (2), 173 (5), 173 (8), 172

(1 क) दण्ड प्रक्रिया संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, विवेचक द्वारा दौरान विवेचना निगरानीकर्ता के दर्ज किये गये बयानों, जिन्हें विवेचक द्वारा केसडायरी में अंकित नहीं किया गया है, को तथा दौरान विवेचना विवेचक के वरिष्ठ अधिकारी सी0 ओ 0 लालगंज को रजिस्ट्री के माध्यम से प्रेषित लिखित साक्ष्य, जिनकी प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है, के समबन्ध में सी0 ओ 0 लालगंज द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में आख्या मंगाकर अग्रिम विवेचना कराया जाना न्यायहित में है, परन्तु उक्त धाराओं में निहित प्रावधानों का बिना कोई अध्ययन किये विद्वान अवर न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर मनमाने ढंग से प्रश्नगत आदेश पारित कर निगरानीकर्ता/अभियुक्त के प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है, जो पूर्णतः विधि विरूद्ध व सम्बन्धित न्यायालय के द्वारा स्वयं में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग न किया जाना दर्शाता है। अतः प्रस्तुत आपराधिक निगरानी स्वीकार कर प्रश्नगत निर्णय आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

6. प्रश्नगत आदेश व अवर न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट है कि बाद विवेचना विवेचक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 172/2022 में निगरानीकर्ता/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471 भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों के विचारण हेतु आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जो दिनाँक 25.08.2022 को फौजदारी वाद संख्या 34371/2022 के रूप में दर्ज किया गया और उसके उपरांत पत्रावली लगातार अभियुक्त पर आरोप विरचित किये जाने हेतु लम्बित चली आ रही है, परन्तु येन–केन–प्रकारेण निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र धारा 173 (2), 173 (5), 173 (8), 172 (1 क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा **बीनू भाई हरि भाई मालवीय व अन्य बनाम स्टेट आफ गुजरात व अन्य क्रिमिनल अपील संख्या 478–479/2017** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तथा **फरहा फैज बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 प्रर्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या 9465/2021** में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप इस आधार पर निगरानीकर्ता/अभियुक्त के प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है कि अग्रिम विवेचना का अधिकार अन्वेषण अधिकारी का होता है और प्रस्तुत प्रकरण में उक्त प्रार्थना पत्र निगरानीकर्ता/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत किया गया है। जहाँ तक निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का प्रश्न है, चूंकि उक्त को साबित करने, अपना सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर निगरानीकर्ता/अभियुक्त को प्राप्त होगा। इस आधार पर भी निगरानीकर्ता द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में याचित अनुतोष हेतु भी प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है।

7. उक्त के सम्बन्ध में धारा 173 (2), 173 (5), 173 (8), 172 (1 क) दण्ड प्रक्रिया संहिता में निहित प्रावधान निम्नानुसार हैंः–

> **172 (1 क)–** धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किये गये साक्षियों के कथन केसडायरी में अंतःस्थापित किये जाएंगे।

173 (2) (i) जैसे ही वह पूरा होता है, वैसे ही पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्ररूप में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें निम्नलिखित बातें कथित होंगी–

(क) पक्षकारों के नाम;

(ख) इत्तिला का स्वरूप;

(ग) मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के नामः

(घ) क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और यदि किया गया प्रतीत होता है,

तो किसके द्वारा;

(ङ) क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है।

(च) क्या वह अपने बन्धपत्र पर छोड़ दिया गया है और यदि छोड़ दिया गया है तो वह बन्धपत्र प्रतिभुओं सहित है या प्रतिभुओं रहित;

(छ) क्या वह धारा 170 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

[(ज) जहाँ अन्वेषण भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की 4 [धारा 376, धारा 376–क, धारा 376 कख, धारा 376–ख, धारा 376–ग, धारा 376–घ, धारा 376–घक, धारा 376–घख] या धारा 376–ङ के अधीन किसी अपराध के संबंध में है, वहां क्या स्त्री की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट संलग्न की गई है।]

(ii) वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्यवाही की संसूचना, उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने अपराध किए जाने के सम्बन्ध में सर्वप्रथम इत्तिला दी उस रीति से देगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

173 (5) जब ऐसी रिपोर्ट का सम्बन्ध ऐसे मामले से है जिसको धारा 170 लागू होती है, तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ–साथ निम्नलिखित भी भेजेगा–

(क) वे सब दस्तावेज या उनके सुसंगत उद्धरण, जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार है और जो उनसे भिन्न हैं जिन्हें अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले ही भेज दिया गया है;

(ख) उन सब व्यक्तियों के, जिनकी साक्षियों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन का विचार है, धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन।

173 (8) इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा (2) के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात् आगे और अन्वेषण को प्रवरित करने वाली नहीं समझी जाएगी तथा जहां ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले वहां वह ऐसे साक्ष्य के सम्बन्ध में अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को विहित प्ररूप में भेजेगा, और उपधारा (2) से (6) तक के

उपबन्ध ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के बारे में, जहां तक हो सके, ऐसे लागू होंगे, जैसे वे उपधारा (2) के अधीन भेजी गई रिपोर्ट के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

8. उक्त निहित प्रावधानों के दृष्टिगत निगरानीकर्ता/अभियुक्त विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि या क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित अनियमितता दर्शाने में पूर्णतः असफल रहा है। निष्कर्षतः निगरानीकर्ता/अभियुक्त द्वारा योजित प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने येाग्य है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत फौजदारी निगरानी संख्या 82/2026 शकील अहमद खॉन बनाम उ0प्र0 राज्य, निरस्त की जाती है। फौजदारी वाद संख्या 34371/2022 राज्य प्रति शकील खॉन, में पारित प्रश्नगत आदेश दिनाँक 24.03.2026 पुष्ट किया जाता है।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–20.06.2026

(अमित पाल सिंह)
I.D. No. UP05691
सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक–20.06.2026

(अमित पाल सिंह)
I.D. No. UP05691
सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।

Sripal Singh
Stenographer

Digitally signed by AMIT PAL SINGH
Date: 2026.06.23 11:25:41 IST
Reason: Judgment
Location: District and Sessions Court Raebareli